औद्योगिक संगठनों को बताए ईएसआईसी की स्प्री योजना के फायदे

- **ईएसआईसी उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम द्वारा एक दिवसीय सेमिनार आयोजित।**

कुमार प्रवेश, गुड़गांव टुडे

गुरुग्राम। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं ईएसआईसी द्वारा संचालित स्प्री योजना-2025 के अंतर्गत पंजीकरण संबंधी लाभों की जानकारी प्रदान करने के लिए ईएसआईसी के उपक्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम द्वारा औद्योगिक संघ एवं नियोक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में औद्योगिक संघ के अध्यक्ष जेएन मंगला, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके गुप्ता तथा नियोक्ता संघ की ओर से संदीप सांगवान एवं हरीश शर्मा, गुडगाँव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सुमित राव, सेफ इन फाउंडेशन की ओर से आशा एवं चन्द्र शर्मा उपस्थित रहे।कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील यादव (प्रभारी) ने की।सेमिनार में स्प्री 2025 योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। उपस्थित औद्योगिक संघ एवं नियोक्ता संघ को संबोधित करते हुए सुनील यादव ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने कर्मचारियों एवं नियोजकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने हेतु एसपीआरईई-2025 योजना शुरु की है। यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। व्यवसाय और कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही यह योजना संरक्षित भविष्य का संकल्प भी प्रदान करती है। योजना 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत अपंजीकृत नियोक्ता बिना किसी निरीक्षण या पेनल्टी के ईएसआईसी पोर्टल पर अपनी फर्म का पंजीकरण करा सकते हैं। सभी अपंजीकृत नियोजकों को इस योजना के लाभ उठाने हेतु अवगत कराते हुए उन्हें ईएसआईसी में पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित करें ताकि वंचित श्रमिक/कर्मचारी भी ईएसआईसी द्वारा दिए जाने वाले चिकित्सा एवं नकद हितलाभ का फायदा उठा सकें। बता दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक में एसपीआरईई-2025 (नियोक्ता और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना) को मंजूरी दी गई। सुनील यादव ने बताया कि अपंजीकृत नियोक्ताओं को ईएसआईसी पोर्टल और श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से अपनी इकाइयों और कर्मचारियों को किसी निरीक्षण या पिछले बकाया की मांग के बिना पंजीकरण करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें नियोक्ता द्वारा घोषित तिथि से पंजीकरण वैध माना जाएगा। सेमिनार के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर सचिन सिंह-उप निदेशक, डॉ. स्वीटी यादव-जनसंपर्क अधिकारी, कमलेन्द्र कुमार-सहायक निदेशक, प्रमोद कुमार-सहायक निदेशक एवं कार्यालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दैनिक भास्कर नई दिल्ली 24-07-2025

स्प्री योजना: औद्योगिक संगठनों को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया

भास्कर न्यूज़ | गुरुग्राम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं ईएसआईसी द्वारा संचालित स्प्री योजना-2025 के अंतर्गत पंजीकरण संबंधी लाभों की जानकारी प्रदान करने के लिए उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम द्वारा गुरुग्राम औद्योगिक संगठन एवं नियोक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों के साथ सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में औद्योगिक संघ के अध्यक्ष जेएन मंगला, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके गुप्ता तथा नियोक्ता संघ की ओर से संदीप सांगवान एवं हरीश शर्मा, गुड़गांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से सुमित राव, सेफ इन फाउन्डेशन की ओर से आशा एवं चन्द्र शर्मा शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील यादव (प्रभारी) द्वारा की गई।

सेमिनार में उपस्थित औद्योगिक संघ एवं नियोक्ता संघ को संबोधित करते हुए सुनील यादव ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने कर्मचारियों एवं नियोजकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने के लिए एसपीआरईई-2025 योजना का आरंभ किया है। यह योजना नियोक्ताओं और कर्मचारियों को पंजीकरण का ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है।